भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3444

सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक)

असंगठित कामगारों हेतु पेंशन योजना

3444. श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में असंगठित कामगारों हेतु पेंशन योजना पर विचार किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने पेंशन योजना हेतु लाभार्थियों की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों को भी शामिल किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा चिन्हित किए गए असंगठित कामगारों की कुल संख्या कितनी है तथा इस प्रयोजनार्थ वित्तीय विविक्षाएं क्या हैं;
(घ) क्या सरकार ने विशेषकर ग्रामीण भारत में, श्रमिक वर्ग की नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने पर विचार किया है; और
(ङ) क्या सरकार असंगठित क्षेत्र के लिए हाल ही में घोषित पेंशन योजना के त्वरित कार्यान्वयन की निगरानी कर रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): भारत सरकार ने फरवरी, 2019 में असंगठित कामगारों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना शुरू की है जो एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर न्यूनतम 3000/-रू. की सुनिश्चित मासिक पैंशन दी जाएगी। इस योजना में अभिदाता द्वारा निर्धारित अंशदान राशि का भुगतान करना अपेक्षित है और इसके समान अंशदान का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से किया जाता है। केन्द्र सरकार ने हाल ही में पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत अत्यधिक

संख्या में लाभार्थियों के नामांकन करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों सहित सभी हितधारकों को निदेश परिचालित किए हैं।

असंगठित कामगारों द्वारा अधिकतम नामांकन कराने हेतु इस योजना का व्यापक प्रचार करने के लिए सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था । 10.07.2019 की स्थिति के अनुसार, पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत नामांकित कुल व्यक्तियों की संख्या 30,85,205 है। नई शुरू की गई पीएमएसवाईएम योजना के लिए बजट एवं व्यय विवरण निम्नानुसार हैं:-

योजना	2018-19	2019-20 (10.07.2019)		
	(राशि करोड़ रूपये में)			
	बीई/आरई	व्यय	बीई	व्यय
पीएमएसवाईएम	0/50	49.49	500	105.22

टिप्पणी: बीई/आरई- बजट अनुमान/ संशोधित अनुमान

(घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 में प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसका वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने का इच्छुक हो, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन का गारंटीशुदा सवेतन रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण भारत के श्रमिक वर्ग की रोजगारपरकता में वृद्धि करना उपबंधित है। मनरेगा, 2005 की अनुसूची -II के पैरा 18 एवं 20 में उल्लिखित है कि जहां तक संभव हो, रोजगार आवेदन करते समय आवेदक के निवास स्थान के गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध कराया जाएगा तथा यदि रोजगार उक्त दायरे के बाहर उपलब्ध कराया जाता है, तो श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन एवं जीवन यापन खर्चों को पूरा करने के लिए वेतन दर का दस प्रतिशत अतिरिक्त वेतन के रूप में भुगतान किया जाएगा।

(ङ): श्रम एवं रोजगार मंत्रालय पीएम-एसवाईएम के कार्यान्वयन का आवधिक रूप से अनुवीक्षण कर रहा है।

******